

FORM NO. 03

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

अनवान

तहसीलदार रायपुर

पटवारी हल्का थला

बनाम

मु0न0 23 सन 2020


किस्म मुकदमा धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

2020/00256

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
27 ⁰⁸ / ₂₀₂₀	<p>राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के आदेश क्रमांक दिनांक 06.08.2020 एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक :- एफ 12-12 (04) (रास्ता खोलो अभियान) राजस्व/2020/2095 दिनांक 06.08.2020 की पालना में माह अगस्त 2020 में पंचायत समिति स्तर प्रत्येक शुक्रवार को केम्प आयोजित कर राज्य सरकार आदेश दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कार्यालय के पत्रांक दिनांक 30.07.2020 से रास्ते सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण हेतु पालना की जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।</p> <p>पंचायत समिति स्तर पर आयोजित केम्प में तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पीथलपुरा के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.23 है0 किस्म गे. मु. रास्ता मे से 0.17 है0, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.06 है0 किस्म गे.मु. रास्ता भूमि सड़क के उपयोग में आ रही है जिसे राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गे.मु. रास्ते के बजाय सार्वजनिक निर्माण विभाग गे.मु. सड़क दर्ज किया जाना है साथ में रिपोर्ट पटवारी भू.अ.नि. नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रेषित पत्र के साथ संलग्न रिपोर्ट पटवारी भू.अ. नि. एवं नकल जमाबन्दी नक्शा ट्रेस अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम पीथलपुरा से थला जाने वाली सड़क जो ग्राम पीथलपुरा के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.23 है0 किस्म गे.मु. रास्ता मे से 0.17 है0, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.06 है0 किस्म गे.मु. रास्ता भूमि सड़क के उपयोग में आ रही है जिसे राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गे.मु. रास्ते के बजाय सार्वजनिक निर्माण विभाग गे.मु. सड़क दर्ज किया जाना है।</p>	



Shu

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
	<p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन किया तो पाया कि पटवारी, भू.अ. नि. एवं तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पीथलपुरा से थला जाने वाली सड़क ग्राम पीथलपुरा के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.23 है0 किस्म गे.मु. रास्ता मे से 0.17 है0, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.06 है0 किस्म गे.मु. रास्ता भूमि सार्वजनिक रूप से सड़क के उपयोग में आ रही है जबकि उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गे.मु. रास्ता दर्ज है। मौके पर जो भूमि जिस रूप में काम आ रही उसका उसी रूप में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना आवश्यक है ताकि रेकार्ड और मौके की स्थिति में एकरूपता बनी रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रस्तावित भूमि को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम बिलानाम गे.मु. सड़क दर्ज जाना उचित है।</p> <p>अतः राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज- /2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अनुसार तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक: राजस्व/ 2020/543 दिनांक 26.08.2020 के अनुसार आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीथलपुरा के खसरा नम्बर 103 रकबा 0.23 है0 किस्म गे.मु. रास्ता मे से 0.17 है0, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.06 है0 किस्म गे.मु. रास्ता भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गे.मु. रास्ता के बजाय सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गे.मु. सड़क दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">(सुन्दरलाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिरायपुर, भीलवाड़ा मजिस्ट्रेट रायपुर, जिला-भीलवाड़ा</p>	